

अनुदान संख्या 87 – भू संसाधन विभाग
GRANT No. 87 – DEPARTMENT OF LAND RESOURCES

		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)		
राजस्व:	Revenue:			
प्रभारित—	Charged-			
पूरक	Supplementary	27,14,00	27,14,00	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			शून्य Nil
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	2170,42,00		
			2170,46,00	1437,67,69
पूरक	Supplementary	4,00		-732,78,31
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			732,71,38

टीका और टिप्पणियां**Notes and comments**

1. अनुदान के स्वीकृत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः—
1. In the voted portion of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head	(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
मुख्य शीर्ष "2501" ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	Major Head "2501" Special Programmes for Rural Development			
मू.	O.	5000.00		
पू.	S.	1.00	365.10	363.75
पु.	R.	-4635.90		-1.35

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष Head	Head			
मुख्य शीर्ष "2506" भूमि सुधार	Major Head "2506" Land Reforms			
मू.	O. 13500.00			
पू.	S. 2.00	25001.69	25001.68	-0.01
पु.	R. 11499.69			
मुख्य शीर्ष "2552" पूर्वोत्तर क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas			
मू.	O. 21500.00			
पू.	S. 1.00
पु.	R. -21501.00			
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments			
मू.	O. 170000.00			
		115331.00	115330.42	-0.58
पु.	R. -54669.00			
मुख्य शीर्ष "3602" विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र सरकार को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature			
मू.	O. 5000.00			
		1187.00	1186.99	-0.01
पु.	R. -3813.00			

(I) ₹21601.00 लाख का प्रावधान (दिसम्बर, 2021 में प्राप्त ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) तीन शीर्षों के अंतर्गत पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹21501.00 लाख निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत मुख्य शीर्ष "2552" के तहत लेखाबद्ध किया गया:—

(का) "बंजर भूमि विकास – राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास कार्यक्रम – प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – वाटरशेड विकास घटक" – ₹20000.00 लाख; और

(खा) "भूमि सुधार – अन्य व्यय – डिजिटल इंडिया भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम" – ₹1501.00 लाख (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित)।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए संबंधित परियोजनाओं/योजनाओं पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "2501" – "बंजर भूमि विकास – राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास कार्यक्रम" – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:—

(का) "प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – वाटरशेड विकास संघटक" – ₹714.38 लाख की बचत (जुलाई, 2021 में प्राप्त ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹739.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(खा) "अभिनव विकास के माध्यम से कृषि लचीलापन के लिए वाटरशेड के कायाकल्प हेतु विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजना (रिवार्ड)" – ₹1311.67 लाख की बचत (₹1600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित आकलन चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(I) Provision of ₹21601.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in December, 2021) remained wholly unutilized under three heads; of these ₹21501.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" - under the following heads: -

(A) "Waste Land Development – National Waste Land Development Programme – Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana – Watershed Development Component" – ₹20000.00 lakhs; and

(B) "Land Reforms – Other Expenditure – Digital India Land Records Modernization Programme" – ₹1501.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh).

Provisions under the above two heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head "2501" – "Waste Land Development - National Waste Land Development Programme" – savings occurred under the following heads: -

(A) "Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana - Watershed Development Component" – saving of ₹714.38 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹739.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in July, 2021); and

(B) "World Bank Assisted project for "Rejuvenating Watersheds for Agricultural Resilience through Innovative Development (REWARD)" - saving of ₹1311.67 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1600.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(गा) "व्यावसायिक समर्थन और अन्य गतिविधियां" – ₹2611.20 लाख की बचत (₹2662.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(III) मुख्य शीर्ष "3601" – "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनाएं" – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "केन्द्रीय सहायता/हिस्सा – प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – वाटरशेड विकास संघटक" – ₹42813.64 लाख की बचत (₹117630.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(खा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – वाटरशेड विकास संघटक" – ₹11431.47 लाख की बचत (₹32370.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(IV) मुख्य शीर्ष "3602" – "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनाएं – बंजर भूमि विकास – राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास कार्यक्रम – प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – वाटरशेड विकास संघटक" – ₹3283.01 लाख की बचत (₹3670.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत डब्ल्यूडीसी –पीएमकेएसवाई परियोजना के विस्तार की देरी से अनुमोदन के कारण थीं।

(V) एक शीर्ष के तहत ₹330.00 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 40 प्रतिशत है।

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹11836.00 लाख) प्रयुक्त की गईं जैसा कि निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत मुख्य शीर्ष "2506" के तहत दिसम्बर, 2021 और मार्च, 2022 में ₹3.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(C) "Professional Support and Other Activities" – saving of ₹2611.20 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2662.00 lakhs);

(III) Under Major Head "3601" – "Centrally Sponsored Schemes" - savings occurred under the following heads: -

(A) "Central Assistance/Share - Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana - Watershed Development Component" - saving of ₹42813.64 lakhs (against the sanctioned provision of ₹117630.00 lakhs);

(B) "Special Component Plan for Scheduled Castes- Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana – Watershed Development Component" – saving of ₹11431.47 lakhs (against the sanctioned provision of ₹32370.00 lakhs); and

(IV) Under Major Head "3602" - "Centrally Sponsored Schemes - Waste Land Development - National Waste Land Development Programme - Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana - Watershed Development Component" - saving of ₹3283.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3670.00 lakhs).

Savings under the above four heads were due to late approval for extension of the Project 'WDC - PMKSY'.

(V) Under one head saving of ₹330.00 lakhs occurred constituting 40 percent of the sanctioned provision.

2. The above savings were partly (₹11836.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹3.00 lakhs in December, 2021 and March, 2022 under Major Head "2506" - under the following heads: -

(का) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना - भूमि सुधार - अन्य अनुदान" - ₹1700.00 लाख।

(खा) "जनजातीय क्षेत्र - उप-योजना - डिजिटल इंडिया भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम" - ₹1000.00 लाख।

(गा) "अन्य व्यय - डिजिटल इंडिया भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम" - ₹9136.00 लाख।

(A) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Land Reforms - Other Grants" - ₹1700.00 lakhs.

(B) "Tribal Area Sub-Plan - Digital India Land Records Modernization Programme" - ₹1000.00 lakhs.

(C) "Other Expenditure - Digital India Land Records Modernization Programme" - ₹9136.00 lakhs.
